कार्यालय पुलिस उपायुक्त काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी।

प्रेस-नोट

दिनांक-01/04/2024

विषय:- **थाना भेलूपुर पुलिस द्वारा डकैती के मुकदमें का 25000 रुपये का इनामिया अभियुक्त गिरफ्तार।**

श्रीमान पुलिस आयुक्त वाराणसी के अपराधों की रोकथाम तथा आगामी लोकसभा चुनाव-2024 के मद्देनजर चोरी/लूट की घटनाओ के सफल अनावरण एवं वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान पुलिस उपायुक्त काशी ज़ोन के निर्देशन मे, श्रीमान अपर पुलिस उपायुक्त काशी ज़ोन के पर्यवेक्षण मे एवं श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त भेलूपुर के नेतृत्व में थाना .भेलूपुर की पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना एवं सर्विलांस की मदद से मु0अ0सं0-220/2023 धारा 395/147/323/504/506 भा0द0वि0 थाना भेलूपुर कमिश्नरेट वाराणसी से संबंधित वांछित अभियुक्त अनुभव कुमार पाण्डेय पुत्र रवीन्द्र कुमार पाण्डेय नि0 भिटारी रोड नई बस्ती थाना लोहता कमि0 वाराणसी को दिनांक 01.04.2024 को रेलवे स्टेशन अमेठी के पास से गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही संपादित की जा रही है। अभियुक्त के विरुद्ध मा0 न्यायालय से एनबीडब्लू/धारा 82/83 सीआरपीसी का प्रोसेस जारी हैं जिसके विरुद्ध श्रीमान डीसीपी जोन काशी महोदय द्वारा 25000 रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया था।

घटना का विवरण- वादी मुकदमा विक्रम सिंह पुत्र जवान जी निवास मकवाना थाना चानरुमा जनपद पाटन गुजरात प्रान्त ने दिनांक 05.06.2023 को थाना स्थानीय पर लिखित सूचना किया कि दि0 29.05.2023 को मै वाराणसी स्थित आदि शंकराचार्य कालोनी बैजनत्था स्थित आफिस पर लगभग साढे नौ बजे(9.30) रात मे गेट पर खडा था कि दो गाडी से अजीत मिश्रा सारनाथ वाराणसी अपने लगभग 10 से 12 साथियो असलहे के साथ आकर मुझे मारते पीटते घर के अन्दर ले गया गाली गुप्ता देते हुए जान से मारने की धमकी देकर (मेरे व्यापार का कलेक्शन किया हुआ कैश लगभग 1,40,00,000(एक करोड़ चालीस लाख रुपया लूट ले गये।

विवरण पूछताछ- ......पूछने पर बता रहा हैं कि दि0 29.05.2023 को सायं घटना के समय मैं भी अजीत मिश्रा के कहने पर उनके साथ इनेवा गाडी लेकर मैं गया था। अजीत मिश्रा के साथ घनश्याम मिश्रा , वसीम खान, प्रदीप पाण्डेय और पुलिस गाडी से पुलिस वाले बैजनत्था कालोनी में पहुंचे थे ।वहाँ पर गुजरात के लोगों से काफी पैसा बरामद हुआ था। एक बोरी नोट पुलिस वालों ने अपने गाडी में रख लिया था और दूसरी बोरी नोट को अजीत मिश्रा ने मेरी गाडी में रखा लिया था जो अपने घर में अजीत मिश्रा ने उतरवा लिया था अजीत मिश्रा ने कहा था कि आपका हिस्सा बाद में दूंगा। लेकिन जब पुलिस केस हो गया तो हमलोग भाग गये थे और हम पैसा लेने अजीत मिश्रा के पास नही गये।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-</u>

1. अनुभव कुमार पाण्डेय पुत्र रवीन्द्र कुमार पाण्डेय नि0 भिटारी रोड नई बस्ती थाना लोहता कमि0 वाराणसी मूल निवासी ग्राम जमींदार पाण्डेय का पुरवा थाना अन्तू जिला प्रतापगढ़ उम्र करीब 28 वर्ष ।

<u>अपराधिक इतिहास</u>

01. मु0अ0सं0 220/2023 धारा 395/147/323/504/506 भादवि0 थाना भेलूपुर कमि0 वाराणसी ।
02. मु0अ0सं0 352/2023 धारा 174 ए भादवि0 थाना भेलूपुर कमि0 वाराणसी ।
03. मु0अ0सं0 375/2018 धारा 60/63 आबकारी एक्ट थाना अलीनगर जनपद चंदौली ।

<u>गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-</u>

1. प्र0नि0 श्री विजय कुमार शुक्ला थाना भेलूपुर कमि0 वाराणसी ।
2. उ0नि0 श्री वरुण शाही थाना भेलूपुर कमि0 वाराणसी ।
3. उ0नि0 श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह थाना भेलूपुर कमि0 वाराणसी ।
4. का0 3952 सुमीत साही थाना भेलूपुर कमि0 वाराणसी ।.
5. का03436 संदीप सिंह थाना भेलूपुर कमि0 वाराणसी।
6. का0 अश्वनी कुमार सर्विलांस सेल कमि0 वाराणसी ।.

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त काशी जोन,
कमिश्नरेट वाराणसी।